न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खटीमा जिला उधम सिंह नगर

उपस्थित–श्रीमती मँजु सिंह मुण्डे.....(उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तराखण्ड)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–132/2023

दिवेश सिंह राना पुत्र श्री सुरेश सिंह
निवासी–गढ़ी पट्टी थाना नानकमत्ता
जिला उधम सिंह नगर.....अभियुक्त

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य.....अभियोजन पक्ष

धारा–379, 411, 34 भारतीय दण्ड संहिता
मुकदमा अपराध संख्या–178/2023
थाना–नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर

दिनांक–07.08.2023

अभियुक्त दिवेश सिंह राना पुत्र श्री सुरेश सिंह निवासी–गढ़ी पट्टी थाना नानकमत्ता जिला उधम सिंह नगर द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–178/2023 थाना नानकमत्ता अन्तर्गत धारा–379, 411, 34 भारतीय दण्ड संहिता में उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में यह अभिलिखित किया गया है कि उसका उपरोक्त मामले में यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। इसके अलावा अन्य किसी भी न्यायालय में अन्य जमानत आवेदन पत्र लम्बित नहीं है एवं न ही निस्तारित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मामले में झूठा व फर्जी तरीके से अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह निर्दोष है। उक्त मामले का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है, जो भी साक्षी दिखाये गये हैं, वह हितबद्ध साक्षी हैं। उपरोक्त मामले मे प्रार्थी/अभियुक्त की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथम दृष्टया अवलोकन करने मात्र से ही पूरा मामला प्रार्थी–अभियुक्त के प्रति झूठा व फर्जी प्रतीत होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.07.2023 से जेल में निरूद्ध है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मामले में अपनी जमानत कराना चाहता है तथा सक्षम जमानती पेश करने को तैयार हैं। अतः अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किया जाने की याचना की गई है।

3. उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री सौरभ ओझा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए अभियुक्त द्वारा कारित अभिकथित अपराध गंभीर प्रकृति का होने का अभिकथन किया है तथा यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 15.07.2023 को कोचिंग जाते हुए वादिनी मुकदमा प्रीती राना की साईकिल से उसका व उसकी सहेली कमलजीत कौर का बैग चोरी करके भाग गये, जिसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं ए.टी.एम. कार्ड थे तथा उक्त चोरी का सामान दिनांक 17.07.2023 को अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री लखबिन्दर सिंह द्वारा यह अभिकथन किया

गया कि अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई चोरी नहीं की गयी है एवं न ही उसके कब्जे से कोई बरामदगी हुई है। चोरी अथवा बरामदगी का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 17.07.2023 से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री लखबिन्दर सिंह व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) श्री सौरभ ओझा की बहस सुनी गई तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णय **प्रसन्ता कुमार सरकार बनाम आशीस चटर्जी (2010) 14 एस.सी.सी. 496** में यह अवधारित किया गया है कि जमानत दिये जाते समय, आरोपित अपराध की प्रकृति और गंभीरता, सजा की स्थिति में सजा की गंभीरता, आरोपी के जमानत पर रिहा होने पर उसके फरार होने या भागने का खतरा, बार–बार अपराध किये जाने की संभावना या प्रवृत्ति, जमानत पर रिहा होने के पश्चात गवाहों को प्रभावित करने की उचित आशंका और खतरा एवं जमानत देने से न्याय का विफल होना आदि कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

7. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 15.07.2023 को समय लगभग 10:00 स्थान खटीमा बाईपास हाईवे थानाक्षेत्र नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर से कोचिंग जा रही वादिनी मुकदमा प्रीती राना एवं उसकी सहेली कमलजीत कौर की साईकिल से उनके बैग, जिसमें उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं ए.टी.एम. कार्ड थे, की चोरी किये जाने एवं दिनांक 17.07.2023 को स्थान बाउली साहिब से बैराज को जाने वाली कंक्रीट सड़क पर थानाक्षेत्र नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर से अभियुक्त के कब्जे से उक्त चोरी किया गया सामान बरामद होने का आरोप लगाया गया है। प्रस्तुत मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त दिनांक 17.07.2023 से जेल में निरूद्ध है। जमानत देना एक नियम है और जेल अपवाद होता है। तद्नुसार प्रस्तुत मामले की समस्त परिस्थितियों के आधार पर एवं गुण दोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने और अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. अभियुक्त दिवेश सिंह राना का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 132/2023 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन मु0 40,000 रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाता है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक–07.08.2023

(मँजु सिंह मुण्डे)
अपर सेशन न्यायाधीश खटीमा
जिला उधमसिंह नगर